भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2082

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

फर्जी विश्वविद्यालय

2082. डॉ॰ वेंकटेश नेता बोरलाकुंताः

श्री दयाकर पसुनूरीः

श्री एन॰ रेड्डप्पः

श्री अरूण सावः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने फर्जी विश्वविद्यालयों की एक सूची जारी की है जो स्वघोषित, गैर-मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं जो यूजीसी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कार्य कर रही हैं, तथा यूजीसी ने विद्यार्थियों को इनके दावों पर विश्वास नहीं करने की चेतावनी दी है तथा जो एक से ज्यादा दशक से यूजीसी की जांच-सूची में हैं और विनियामक की कदाचार-रोधी प्रकोष्ठ (एएमपीसी) उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा अब तक इसकी सूची में शामिल गैर-मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों को बंद करने के लिए राज्य-वार क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सभी कॉलेजों द्वारा यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुपालन की सख्ती से निगरानी के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या विदेशों में भी बड़ी संख्या में फर्जी महाविद्यालय कार्य कर रहे हैं; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग): जी, हां। छात्रों, अभिभावकों, जन सामान्य और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 24 फर्जी विश्वविद्यालयों

की सूची जारी की है जो यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) और धारा 3 के तहत मान्यता के बिना डिग्री कार्यक्रम की पेशकश कर रहे हैं। इसके अलावा, दो और संस्थान नामतः भारतीय योजना और प्रबंधन संस्थान (आईआईपीएम), नई दिल्ली और भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश भी यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं। इन फर्जी विश्वविद्यालयों का विवरण इसकी वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध है।

सरकार/यूजीसी ने इन विश्वविद्यालयों को बंद करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं ताकि छात्र इन फर्जी विश्वविद्यालयों के जाल में न फंसे:

i. सरकार/यूजीसी ने अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेश के मुख्य सचिवों/शिक्षा सचिवों को पत्र जारी किए हैं।

ii यूजीसी ने फर्जी विश्वविद्यालयों को कारण बताओ नोटिस / चेतावनी जारी की है कि स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम चलाने और भ्रामक विज्ञापन देने से यूजीसी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता आदि सहित उपयुक्त कानूनों के प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जा सकती है।

iii यूजीसी ने भारतीय योजना और प्रबंधन संस्थान (आईआईपीएम), नई दिल्ली और जैव रसायन शिक्षा अनुदान आयोग, नादिया, पश्चिम बंगाल के खिलाफ संबंधित पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज की है।

उपरोक्त के अलावा, यूजीसी ने फर्जी विश्वविद्यालयों से आम जनता, छात्रों और अभिभावकों में जागरूकता फैलाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. यूजीसी ने फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची अपनी वेबसाइट यानी www.ugc.ac.in पर प्रकाशित की है।

ii. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में यूजीसी आकांक्षी छात्रों, अभिभावकों और जन सामान्य को देश के विभिन्न भागों में चल रही उच्चतर शिक्षा के स्वघोषित, अप्राधिकृत फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों में प्रवेश न लेने के संबंध में चेतावनी के लिए हिन्दी और अंग्रेजी में राष्ट्रीय दैनिक और समाचार-पत्रों में देश में फर्जी विश्वविद्यालयों की राज्य-वार सूची के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति और सार्वजनिक नोटिस जारी करता है।

(घ) और (ड.): सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

*****